छात्रावास पंजियन (बालक)

पी० जी० ओ० आई० , भोपाल

आवंटित कमरा संख्या :............... तल :...

1. छात्र का नाम :...
2. नामांकन संख्या :...
3. महाविद्यालय / ब्रांच :...
4. वर्ष / सेमेस्टर :...
5. वर्तमान आवास का पता :...
6. स्थाई आवास का पता :...
7. मोबाईल संख्या :...
8. आपात मोबाईल संख्या :..
9. ब्लड ग्रुप :...
10. एलर्जी / बीमारी (यदि कोई हो) :...
11. निर्धारित दवा :..
12. स्थानिय अभिभावक :...
13. स्थानिय अभिभावक का पता :..
14. स्थानिय अभिभावक मोबाईल संख्या :...

<u>कमरे में उपलब्ध मद / संबद्ध वस्तुएँ :</u>

कम संख्या	मद / संबद्ध वस्तुऐं	वर्तमान स्थिती	मात्रा	लागत परिश्रम सहित*
1	पंखा		1	
2	ट्यूब लाइट / सी.एफ.एल. / बल्ब		1 / 1 / 1	
3	टेबल / प्लेटफार्म		1	
4	कुर्सी		1	
5	पलंग प्लाई समेत		1	
6	खिडकी कांच समेत		1	
7	दरवाजे का ताला चावी		1	
8	स्विच बोर्ड (मुख्य)		1	
9	स्विच बोर्ड (अन्य)		1	
10	अलमारी		1	

* लागत स्थिती के अनुसार परिवर्तनशील है।

नोटः किसी मद को क्षति पहुँचाने या लापरवाही से उपयोग करने की स्थिती में संबंधित छात्र से मद का पूर्ण शुल्क वसूल किया जावेगा।

छात्र के हस्ताक्षर

परिवचन

(संस्थान में हाजिर होने के समय प्रस्तुत किया जाय)

1.मैं ....(छात्र का नाम) नामांकन संख्या ....ब्रांच .... महाविद्यालय... परिवचन करता हुँ कि मैंने छात्रावास के सभी नियम और विनियमन शैक्षिक सत्र .... के लिये ठीक से पढ़े हैं और सभी नियमों को पूर्णतः समझने के बाद ही मैंने शैक्षिक सत्र .... के लिय छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन किया है।

2. छात्रावास में प्रवेश के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रवेश हेतु कोई गलत जानकारी दी गई थी या मैं बीच में ही छात्रावास छोडना चाहता हुँ तो मैं छात्रावास का वार्षिक शुल्क भरने के लिये पूर्णतः उत्तरदायी रहुँगा।

3.यदि मैं वचन संख्या 1 और 2 से विमुख होता हुँ तो मेरे खिलाफ कानूनी और/या दण्डात्मक कार्यवाही जिसका भी प्रावधान हो की जाय।

4.मैं शासन द्वारा लगाये गए नियमों,अधिनियमों और कानूनों को मानने के लिये सहमत हुँ तथा परिवचन देता हुँ कि जब तक संस्थान का छात्र का रहुँगा संस्थान के अंदर या बाहर कोई एसा कार्य नहीं करूगा जिससे संस्थान के अधिकारियों को मेरे विरोध में अनुशासनात्मक कार्यवाही नियम,अधिनियम और कानून के अनुसार करनी पडे ,जो अच्छा व्यवहार बनाने के लिये सामान्यतः होती है।

आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरी समझ और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

दिनांकः

छात्र का नाम एंव हस्ताक्षर

स्थानः

नियम और विनियमन

1.सभी छात्रों से अनुशासन और मानक व्यवहार बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है ।

2. रैगिंग पूर्णतः निषिद्ध है यदि कोई छात्र रैगिंग में लिप्त पाया जाता है तो एस एल पी संख्या 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध महाविद्यालय प्रधानाचार्य परिषद तथा एस एल पी संख्या 24298/24299 डब्ल्यू पी(सी पी सी) संख्या 173/2006 एवं एस एल पी संख्या 14356/2005 के अनुसार रैगिंग दंडनीय अपराध है , के संदर्भ में उसके विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट आदेश दिनांक 27.11.2006 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3.सभी छात्रों को एंटी रैगिंग परिवचन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

4.छात्रों को स्वयं उनकी जिम्मेदारी पर कमरा दिया जाता है। उन्हें स्वयं कमरे की मरम्मत एवं वातावरण का ध्यान रखना होगा। सामन्य मरम्मत और सुधार कार्य अर्थात विद्युत,नागरिक,बढ़ईगिरी,स्वच्छता,पानी आदि हेतु छात्र छात्रावास संरक्षक को लिखित में जानकारी दें।

5. सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी संबद्ध वस्तुओं, कमरे में सज्जित एवं स्थिर वस्तुओं के साथ साथ अपने सार्वजनिक तल का भी ध्यान रखेंगे। उपरोक्त दर्शाए गये मदों में किसी भी प्रकार की क्षति,चोरी या दोष होने पर प्रतिस्थापन के लिये उस तल के सभी छात्र जिम्मेदार होंगे ।

6. सार्वजनिक स्थल जैसे बरामदा,छत आदि हमेशा साफ और स्वच्छ रखनी चाहिये। छात्रों को छात्रावास में कहीं पर भी किसी भी तरह की तस्वीर,पोस्टर,पेपर आदि दिवाल पर चस्पा करना मना है।

7. सभी तल के छात्र संबंधित सार्वजनिक स्नानघर और शौचालय कि किसी भी क्षति के लिये जिम्मेदार होंगे।

8.यदि कोई छात्र अवांछनीय गतिविधियों जैसे भौतिक जोर द्वारा संपत्ति को क्षति पहुचाने में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध निम्न कार्यवाही की जवेगी:

अ) उसे तुरंत छात्रावास से निष्कासित किया जावेगा।

ब) उसके दुराचार का विवरण सत्र व्यक्तिगत फाइल बना कर रखा जावेगा।

स) उससे क्षतिगत संपत्ति का पूर्ण शुल्क दण्ड समेत वसूला जवेगा जो छात्रावास प्रबंध समिति द्वारा निश्चित किया जावेगा।

9.सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे रात्री 09:30 बजे तक छात्रावास के अंदर आ जायें।

10. छात्रावास का मुख्य द्वार प्रतिदिन रात्री 09:30 बजे बंद कर दिया जावेगा।

11. सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिदिन सुबह 09:00 बजे तक छात्रावास से अपनी कक्षाओं की ओर प्रस्थान करेंगे , अवकाश छोड़कर ।

4

12.सभी छात्रों को प्रतिदिन छात्रावास में उपस्थिती दर्ज कराने के लिये छात्रावास संरक्षक के कार्यालय में रात्री 09:30 बजे से 09:45 बजे तक आना अनिवार्य होगा।

13.यदि कोई छात्र अवकाश के दिनों में छात्रावास से जाना चाहता है तो उसे छात्रावास संरक्षक को पहले से लिखित में जानकारी देनी होगी। छात्रावास संरक्षक की अनुमति के बिना छात्रावास से बाहर रहने पर प्रतिदिन रू 200 दण्ड स्वरूप लिया जावेगा।

14.यदि कोई छात्र सत्र के दौरान कार्यालयीन दिवस के समय छात्रावास से बाहर जाना चाहता है तो उसे अपने संबंधित विभागाध्यक्ष से लिखित में अनुमति लेने के पश्चात छात्रावास संरक्षक से अनुमति लेनी होगी।

15. सभी छात्रों को प्रतिदिन छात्रावास से बाहर जाने और वापस आने का समय संबंधित रजिस्टर में दर्ज करना होगा। साथ ही जो वस्तुएँ वे बाहर से ला रहे है उसकी जानकारी भी देनी होगी।

16.सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे। बिना कारण अनुपस्थित रहने पर रू 25/– प्रतिदिन दण्ड लिया जावेगा।

17.जो छात्र अस्वस्थ है या कक्षा में नहीं जा रहे हैं उन्हें छात्रावास संरक्षक को उचित कारण बता कर अवकाश हेतु आवेदन करना होगा।जिसकी ज़ानकारी छात्रावास संरक्षक संबंधित विभागाध्यक्ष को देंगे।

18. छात्रावास में प्रतिदिन कक्षाएँ समाप्त होने के बाद ही प्रवेश की अनुमति है।

19.कोई भी छात्र समाज विरोधी एंव देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा।

20.किसी छात्र द्वारा किसी अनाधिकृत व्यक्ति को छात्रावास में लाना दण्डनीय है।

21. किसी भी छात्र द्वारा इलेक्ट्रिक प्रेस,इमरशन रॉड,हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव आदि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उपरोक्त वर्णित उपकरण पाये जाने पर जब्त कर लिये जायेंगे और रू 500/– जुर्माना लगाया जायेगा।

22.गाना बजाना /एफ एम चलाना प्रतिबंधित है जिसकी वजह से अन्य छात्रों को असुविधा और अशांति हो सकती है। व्यक्तिगत टी वी/डी वी डी का उपयोग प्रतिबंधित है। यदि ऐसा पाया गया तो रू 200/– दण्ड स्वरूप लिया जावेगा।

23.सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अकारण अपने कमरे की लाइट जलती हुई और पंखा चलता हुआ नहीं छोडेंगे यदि ऐसा पाया गया तो रू 200 दण्ड स्वरूप लिया जाएगा।

24.कमरा लेते समय ट्यूब लाइट और पंखे की जांच कर लें ,बाद में लाइट या पंखा खराब होने पर छात्र स्वयं उसे बदलने के लिये जिम्मेदार होगा।

25.नशीली चीज़ें जैसे सिगरेट ,शराब आदि का उपयोग प्रतिबंधित है उपयोग करते हुए पाये जाने पर छात्रावास और संस्थान से निष्काशित किया जा सकता है।

26.छात्र संस्थान के अधिकारियों की जानकारी के बिना किसी समारोह/पिकनिक का आयोजन नहीं कर सकेंगे।

27.प्रतिदिन सुबह के नाश्ते का समय सुबह 08:00 बजे से 09:00 बजे तक होगा।

28.प्रतिदिन दोपहर के भोजन का समय दोपहर 03:15 बजे से 04:30 बजे तक होगा।

29.प्रतिदिन रात्रि के भोजन का समय रात्रि 08:00 बजे से 09:00 बजे तक होगा।

30. कार्यालयीन दिवस में पुस्तकालय उपयोग करने का समय दोपहर 03:15 बजे से 4:30 बजे तक होगा।

31. खेल कूद का समय प्रतिदिन दोपहर 04:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा।

32.व्यायामशाला (जिम) के उपयोग का समय शाम 06:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगा। व्यायामशाला (जिम) का उपयोग करने वाले छात्रों को जिम में रखे रजिस्टर पर उपस्थिती दर्ज करना अनिवार्य है।

33. रात्रि 09:30 बजे के बाद टेलिविज़न का उपयोग प्रतिबंधित है।

34.सभी छात्र अपनी संबध्द चीज़ों के लिये स्वयं जिम्मेदार है, कमरे से बाहर जाने पर कमर में ताला लगा कर जाएँ।

35.किसी भी प्रकार की चोरी की सूचना तुरंत छात्रावास संरक्षक को दें।

36. छात्रावास संरक्षक की आज्ञा के बिना छात्रावास में पंजिकृत छात्रों के अलावा ठहरने की अनुमति किसी को नहीं है।

37.छात्रावास परिसर में किसी भी छात्र से झगडा या हाथापाई की स्थिती में संबंधित छात्रों को भारी जुर्माना लगा कर निष्काशित किया जायेगा।

38.मेस/कैंटीन में भोजन का दुरउपयोग करते हुए पाए जाने पर 7 दिवस के लिये कैंटीन से निष्काशित किया जायेगा।

39. प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़कर संरक्षक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है कोई भी छात्र द्वारा संरक्षक की अनुमति के बिना समाचार पत्र अपने कमरे में ले जाना प्रतिबंधित है।

40. छात्रावास प्रबंध समिति के पास नियमों को समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है। नियम परिवर्तन की जानकारी सूचना पटल पर दे दी जावेगी।

41. उपरोक्त वर्णित नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रावास प्रबंध समिति द्वारा जांच की जावेगी और किसी छात्र के दोषी पाये जाने की स्थिती में उसे उचेत दण्ड दिया जावेगा।

मैं घोषणा करता हुँ कि मैंने सभी नियम और विनियमन ठीक से पढ़ लिये हैं और मैं इन्हें मानने के लिये बाध्य हुँ।

छात्र के हस्ताक्षर एवं नाम

स्थान :

दिनांक :

संपर्क संख्या छात्र :

संपर्क संख्या पालक :